

कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक 3375 /14-1(21539/2016), आगरा, दिनांक, ०१ अप्रैल, 2024.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :-

साउथ ईस्ट यू०पी० पॉवर ट्रांसमिशन लि० द्वारा 765 के०वी० सिंगल सर्किट मैनपुरी-उन्नाव पारेषण लाइन के निर्माण हेतु मैनपुरी में प्रभावित 1.5364 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 238 वृक्षों के पातन, कन्नौज में प्रभावित 0.32 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 8 वृक्षों के पातन, कानपुर में प्रभावित 0.8155 हे० संरक्षित एवं 1.1391 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 113 वृक्षों के पातन तथा उन्नाव में प्रभावित 0.7069 हे० संरक्षित एवं 6.2790 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 4058वृक्ष/पौधे के पातन अर्थात् 3.3788 हे० संरक्षित एवं 7.4181 हे० आरक्षित वनभूमि कुल 10.7969 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 4417 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

आपका पत्रांक-प० 873/11-री FP/UP/Trans/21539/2016 दि० 29.9.2023 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी का पत्रांक-2859/14-1 दिनांक 28.03.2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर आख्या प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी के सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुई है, प्राप्त आख्या के आधार पर आपत्तियों की बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है :-

क्र०स०	आपत्ति	निराकरण
1	पारेषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानों में बौने मुख्यतः औषधीय पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन ऑनलाइन अपलोड नहीं है।	अपलोड कर दिया गया है
2	प्रभागीय निदेशक का संस्तुति का हिन्दी भाग-2 ऑनलाइन अपलोड नहीं है	हिन्दी भाग-2 ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है
3	कवरिंग लेटर तथा इस कार्यालय द्वारा चैक लिस्ट अपलोड नहीं है	अपलोड कर दिया गया है
4	पूर्ण प्रस्ताव की सिंगल पी०डी०एफ० फाइल अपलोड नहीं है।	नोडल प्रभाग द्वारा अपलोड की जानी है।

अतः विषयांकित प्रस्ताव पर अग्रेसर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(डॉ अनिल कुमार पटेल)

वन संरक्षक,

आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक

/ समिति

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ अनिल कुमार पटेल)

वन संरक्षक,

आगरा वृत्त, आगरा

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी
पत्रांक 2859 / 14-1 दिनांक: मैनपुरी: मार्च 28, 2024

सेवा में,

वन संरक्षक
आगरा वृत्त आगरा।

विषय:-

साउथ ईस्ट यू०पी० पॉवर ट्रांसमिशन लि० द्वारा 765 के०वी० सिंगल सर्किट मैनपुरी-उन्नाव पारेषण लाइन के निर्माण हेतु मैनपुरी में प्रभावित 1.5364 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 238 वृक्षों के पातन, कन्नौज में प्रभावित 0.32 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 8 वृक्षों के पातन, कानपुर में प्रभावित 0.8155 हे० संरक्षित एवं 1.1391 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 113 वृक्षों के पातन तथा उन्नाव में प्रभावित 0.7069 हे० संरक्षित एवं 6.2790 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 4058 वृक्ष/पौधे के पातन अर्थात् 3.3788 हे० संरक्षित एवं 7.4181 हे० आरक्षित वनभूमि कुल 10.7969 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 4417 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, रु०प्र०० लखनऊ का पं० 873/11-सी FP/UP/Trans/21539/2016 दिनांक

29-9-2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि उक्त विषयक पर नोडल अधिकारी द्वारा आपत्तियाँ लगाई गई थी। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आपत्तियों का निस्तारण कर प्रस्ताव आनलाईन प्रेषित किया गया है तथा प्रभाग रत्तर से सम्बन्धित कमियों का निराकरण कर दिया गया है। प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क०स०	आपत्ति	निराकरण
1	पारेषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानों में बौने मुख्यतः औषधीय पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्रावक्तव्य ऑनलाइन अपलोड नहीं है।	अपलोड कर दिया गया है
2	प्रभागीय निदेशक वा संस्थान का हिन्दी भाग-2 ऑनलाइन अपलोड नहीं है	हिन्दी भाग-2 ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है
3	कवरिंग लेटर तथा इस कार्यालय द्वारा चैक लिस्ट अपलोड नहीं है	अपलोड कर दिया गया है
4	पूर्ण प्रस्ताव की सिंगल पी०डी०एफ० फाइल अपलोड नहीं है।	नोडल प्रभाग द्वारा अपलोड की जानी है।

भवदीय

(संजय अग्रवाल)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी